किसी जमाने में जमीन का नोटिस दिया गया था। .....(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : Prof. Mehta, this Bill is for withdrawal, are you opposing the withdrawal ?

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : There is introduction also, Sir.

MR. DEPUTY SPEAKER : This Bill is for withdrawal. Let the Minister withdraw it, then he will introduce the other Bill.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : All right Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have given notice to oppose the withdrawal of the Bill. You have given it in writing.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : I have asked for permission to oppose the introduction of the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Have you given notice of that ? If you have given, do not speak now. You can speak when the next Bill is introduced.

Now the question is :

"That leave be granted to withdraw a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894."

The motion was adopted.

SHRI HARINATHA MISRA : I withdraw the Bill.

14.57 hrs.

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL, 1984*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI HARINATHA MISRA) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1984.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894."

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यहां जो भूमि अर्जन अधिनियम आया है, वह वास्तव में लैंड एक्वीजीशन एक्ट न होकर किसानों और गरीब लोगों की भूमि हड़पने वाला कानून है और संविधान की स्पिरिटी और रूह के खिलाफ है, पब्लिक पोलिसी और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तथा न्यायसंगत भी नहीं है। जो गरीबों की जमीन ली जाती है, उसके लिए अलग से कानून बने हुए हैं, लेकिन उनको जमीन की मूल कीमत भी नहीं मिल पाती। उनका रोजगार छीन लिया जाता है, उनका धंधा छीन लिया जाता है, लेकिन उनको कोई रोजगार देने की गारंटी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीन ली जाए, इस में उनके लिए रोजगार एक्सचेंज की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तरफ किसी भू-स्वामी की यदि जमीन ली जाए तो उसको मुआवजे के साथ-साथ रोजगार भी मिलना चाहिए। मुआवजा भी मौजूदा कीमत पर मिलना चाहिए। इसके साथ ही उसकी फैमिली के फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका कितना डैमेज हो सकता है, उसका असेसमैंट होकर उचित कम्पैन्सेशन का प्रावधान होना चाहिए। जिस तरह बाजार में मूल्य निर्धारण होता है, आपस में बैठकर खरीद-फरोख्त के संबंध में निश्चय किया जाता है, वैसी ही

*Published in the Gazette of India Extra Ordinary Pt. II, Section 2 dated 3-8-84.

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। अन्यथा जैसा मैंने कहा यह लैंड एक्वीजीशन एक्ट न होकर किसानों की जमीन हड़पने वाला कानून है जो संविधान की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि कम से कम चार वर्ष के प्रयत्न के बाद वे यहां लैंड एक्वीजीशन एक्ट में अमैंडमैंट करने वाला विधेयक लेकर आये हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस बिल को पेश करते हुए...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you are welcoming the Bill, you need not speak; only if you are opposing it, you need speak.

श्री दिगम्बर सिंह : लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस बिल को पहले पेश किया गया था तो यह विभाग राव वीरेन्द्र सिंह जी के पास था, लेकिन इस बिल को पेश करते ही उन का विभाग उनसे चला गया। इसी तरह आज भी जब माननीय मंत्री जी ने यहां इस बिल को पेश किया है तो आज सुबह के अखबार में ही हमने पढ़ा कि यह डिपार्टमैंट भी इनसे चला गया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है।

लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस बिल में वह बात नहीं है जो बात हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर्स ने दस्तखत करके प्रधान मंत्री जी से कही थी, इस बिल में वह बात भी नहीं है जो विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधान मंत्री जी को लिख करके दी थी, इस बिल में वह बात भी नहीं है जो हमारे स्पीकर साहब ने किसान संघ की मीटिंग में प्रस्ताव पास कराते हुए कही थी, हमारी किसान पार्टी ने जो प्रस्ताव पास किया था, इसमें वह भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री ने...(व्यवधान) हमारी प्रधान मंत्री ने 16.2.81 को किसान रैली में जो बात कही थी वह भी इसमें नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो जमीन सरकार लेगी उसका तुरन्त मुआवजा दिया जायगा। इस बारे में नीति में परिवर्तन किया जायगा। अब किसानों को पूर्ण कीमतों से मुआवजा दिया जायेगा। उनकी जमीन का अनुपात मुआवजा दिया जायगा। इस अनुपात में मुआवजे के भुगतान के दिन जमीन का मूल्य होगा। कोई भी संस्था किसानों की जमीन सस्ती कीमत पर खरीदने का लाभ न उठा सकेगी।

इस बिल में यह है कि लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट की धारा 4 में जो नोटिफिकेशन होता है मुआवजा उस समय का दिया जायगा। उस समय का नहीं दिया जायगा जब भूमि पर कब्जा होता है, जो कि बहुत वर्ष पुराने समय का हो सकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Digamber Singh, you can continue next time.

15.00 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Seventy-eighth Report

SHRI S. A. DORAI SEBASTIAN (Karur) : Sir, I move :

> "That this House do agree with the Seventy-eighth Report of the Committee on Private